कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निमाण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा
E-mail-eecdalmorapwd@rediffmail.com

पत्रांक 30 /3सी. (व.भूमि) दिनांक 04 /01/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.00125 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ– भारत सरकार का पत्र सं0 –8बी0/यू0सी0पी/06/72/2015/एफ0सी0/80 दिनांक–15.04.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के द्वारा लगायी गयी 6 शर्तों पर आख्या चाही गयी है।

A - बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 10 है0 बिल्लेख सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 1– प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 10 है0 बिल्लेख सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। भूमि का हस्तान्तण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
2– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 2– प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 23,03,596.00 (तेईस लाख तीन हजार पॉच सो छियानब्बे मात्र) तथा एन0पी0वी0 हेतु 32,85,821.00 (बत्तीस लाख पिचासी हजार आठ सो इक्कीस मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 28.09.2016 को जमा कर दी गयी है। (आनलाईन प्रति संलग्न)
3– शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 3– प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 17,41,486 (सतरह लाख इक्वालीस हजार चार सौ छियासी मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 30.12.2024 को जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
4– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल,सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1,लोधी रोड, नई दिल्ली में जमा कराया जाय एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाय। धनराशि का हस्तान्तरण आनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 4– प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 23,03,596.00 (तेईस लाख तीन हजार पॉच सो छियानब्बे मात्र) तथा एन0पी0वी0 हेतु 32,85,821.00 (बत्तीस लाख पिचासी हजार आठ सो इक्कीस मात्र) की धनराशि तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 17,41,486 (सतरह लाख इक्वालीस हजार चार सौ छियासी मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कर दी गयी है। (आनलाईन प्रति संलग्न)

5– मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहॉं–जहॉं सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर सड़क के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त संख्या 5– प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
6– राज्य सरकार द्वारा Working Plan prescription से सम्बन्धित details की entry online Part II में भी करनी होगी।	शर्त संख्या 6– उक्त शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।

B - सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत् है–

क्र	अधिरोपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त सं0 –1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन0पी0बी0 देने के लिए बाध्य होगा।	शर्त संख्या 2– प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 17,41,486 (सतरह लाख इक्चालीस हजार चार सौ छियासी मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 30.12.2024 को जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
3	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 10 है0 सिविल एवं सोयम भूमि को छ' माह के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 2– उक्त बिन्दु आपसे सम्बन्धित है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	शर्त सं0–4 के अनुपालन में वन क्षेत्र के आस–पास कोई लेबर कैम्प विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का चार फीट ऊँचे RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जायेगा।	शर्त सं0–5 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित की जायेगी।
6	मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के पश्चात् जहॉं–जहॉं सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर सड़क के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी।	शर्त संख्या 6– प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचे।	शर्त सं0–7 के अनुपालन में निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाती है तो निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

8	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।	**शर्त सं0–8** के अनुपालन में परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
9	वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	**शर्त सं0–9** के अनुपालन में वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	कम से कम वृक्षों का कटान/ पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 356 से अधिक न हो।	**शर्त सं0–10** के अनुपालन में कम से कम वृक्षों का कटान/ पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 356 से अधिक नही है।
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फेंका जायेगा।	**शर्त सं0–11** के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फेंका जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	**शर्त सं0–12** के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गयी शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	**शर्त सं0–13** के अनुपालन में विधिवत् स्वीकृति में दी गयी शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या को अपने स्तर से नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(इं0 विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अल्मोड़ा

प्रतिलिपि–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरक्षक, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–वनभूमि सहायक, नि0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को पत्रावली हेतु प्रेषित।

04/01/2025
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 1)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 10 है0 बिल्लेख सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। भूमि का हस्तान्तण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

आदेश

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तलेट से बिरकोला मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने के सबंध मे कार्यालय तहसीलदार, रानीखेत के पत्रांक 698/र0का0/ क्षतिपूरक –वृक्षारोपण/2014–15, दिनांक: 09 दिसम्बर, 2014 के द्वारा उप जिलाधिकारी रानीखेत को प्रेषित तथा उप जिलाधिकारी रानीखेत के द्वारा पृष्टांकित टिप्पणी दिनांक 09–12–2014 के क्रम में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2162/3सी.(वन भूमि), दिनांक:11–12–2014 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये भू–अभिलेख जिसमे क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु तहसील–रानीखेत के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने के सबंध मे तहसीलदार रानीखेत के द्वारा की उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि की खतौनी, खसरा, मौका नक्शा एवं संयुक्त निरीक्षण रिर्पाट सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि के सबंध मे तहसीलदार, रानीखेत की आख्या के अनुसार उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि ग्राम–बिल्लेख, पटवारी क्षेत्र–बिल्लेख, तहसील–रानीखेत के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–62 की श्रेणी–9(3)ड़, "कृषि योग्य बंजर "भूमि के पैमाईशी खेत न0 188 मध्ये कुल–10.020 हैक्टयर सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार, रानीखेत कृ0 तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद किया जायें, अमलदरामद के उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(विनोद कुमार सुमन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या 1989 /ग्यारह–12 /2014–15, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि–निम्नाकिंतो को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, रानीखेत/अल्मोड़ा ।
2– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिलाधिकारी, रानीखेत ।
4– तहसीलदार, रानीखेत को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु ।

(विनोद कुमार सुमन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 2)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 23,03,596.00 (तेईस लाख तीन हजार पॉच सो छियानब्बे मात्र) तथा एन0पी0वी0 हेतु 32,85,821.00 (बत्तीस लाख पिचासी हजार आठ सो इक्कीस मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 28.09.2016 को जमा कर दी गयी है।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 3) वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 17,41,486 (सतरह लाख इक्वालीस हजार चार सौ छियासी मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 30.12.2024 को जमा कर दी गयी है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	A.A.E. कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 4)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0— **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 23,03,596.00 (तेईस लाख तीन हजार पॉच सो छियानब्बे मात्र) तथा एन0पी0वी0 हेतु 32,85,821.00 (बत्तीस लाख पिचासी हजार आठ सो इक्कीस मात्र) की धनराशि तथा भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 17,41,486 (सतरह लाख इक्चालीस हजार चार सौ छियासी मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कर दी गयी है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	A.A.E. कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 5)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	A.A.E. कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 6)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/10101/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।

अमीन	~~कनिष्ठ~~ A.A.E. अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

3	FP/UK/ROAD/15132/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/15132/2015) Badyuda-Thapaniya motor road 1.775km length and 10.00tr span R.C.C motor bridge	ROAD1513220157183	1131513220157183	19 Jul 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 635647/-, road side gap filling : 612929/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1248576/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :27 Jan 2017 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment :Bank Corporation (Challan) Challan Generated On : 16 May 2017 Transaction Date :03 Jun 2017	Demand Letter (../writereaddata/...) Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD1513220157183)
14	FP/UK/Others/10439/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/Others/10439/2015) 15..mtr span R.C.C bridle bridge at Pabhya	OTHERS104392015950	199104392015950	12 May 2015	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 22536/-, road side plantion : 100000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 122536/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 26 Aug 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment :Bank Corporation (Challan) Challan Generated On :07 Sep 2016 Transaction Date :28 Mar 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/8112612012159MK1Cpabhyam15m.pdf) Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=OTHERS104392015950)
15	FP/UK/ROAD/10101/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10101/2015) Talet Virkola Motor Road	ROAD101012015218	113101012015218	15 Apr 2016	CA: 2303596/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 3285821/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5589417/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :07 Sep 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment :Bank Corporation (Challan) Challan Generated On :07 Sep 2016 Transaction Date :28 Sep 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/911612371212ROFCF2016090623216.pdf) Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD101012015218)

12

Executive Engineer,
Construction Division,
P.W.D., ALMORA

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) (HTTPS://DATA.GOV.IN/)
india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) (HTTP://MEITY.GOV.IN/)
(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Polic (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Access tement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)		Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/10393/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10393/2015) Bartoli-Banthok Motor Road(Part I)	ROAD103932015671	6110393671	08 Oct 2015	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 957164/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 957164/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by :03 Jan 2025 Nodal Officer On Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On :09 Jan 2025 Transaction Date :10 Jan 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2012202
2	FP/UK/ROAD/10101/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10101/2015) Talet Virkola Motor Road	ROAD101012015901	6110101901	15 Apr 2016	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 1741486/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1741486/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by :28 Dec 2024 Nodal Officer On Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On :28 Dec 2024 Transaction Date :30 Dec 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/21122024
3	FP/UK/ROAD/10677/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10677/2015) Sindhiyamalla-Tadkot-Gunaditya Motor road	ROAD106772015830	6110677830	01 Jul 2015	CA: 0/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 1380274/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1380274/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by :31 Dec 2024 Nodal Officer On Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On :31 Dec 2024 Transaction Date :30 Dec 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/271220241
4	FP/UK/ROAD/9406/2015 (../viewreport.aspx?	ROAD94062015550	6194060550	09 Jun 2015	CA: 0/-, PCA: 0/-,	Addl CA : 0/- CAT : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by :30 Dec 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/27122024135

Executive Engineer,
Construction Division,
P.W.D., ALMORA

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 1)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD/10101/2015)**

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित कार्य हेतु अधिरोपित वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 2) वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 17,41,486 (सतरह लाख इक्चालीस हजार चार सौ छियासी मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 30.12.2024 को जमा कर दी गयी है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 3)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0— **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 4)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0— **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि वन क्षेत्र के आस—पास कोई लेबर कैम्प विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 5)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0— **FP/UK/ROAD/10101/2015)**

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित की जायेगी।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	A.A.E. कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 6)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0— **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहां—जहां सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	A.A.E. कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 7)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाती है तो निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 8)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	~~कनिष्ठ~~ A.A.E. अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 9)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0— **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	A.A.E. कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 10)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि कम से कम वृक्षों का कटान/ पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 356 से अधिक नही है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 11)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0— **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख—रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फेंका जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन् निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मो

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 12)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	A.A.E. कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्त निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोर

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 13)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोडा में तलेट से बिरकोला मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं0— **FP/UK/ROAD/10101/2015**)

प्रमाणित किया जाता है कि विधिवत् स्वीकृति में दी गयी शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	A.E. कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

AGENCY COPY

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 28-12-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6110101901
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/72/2015-FC
Address.	Construction Division PWD Almora Almora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eecdalmorapwd@rediffmail.com 9759892120 5962-230091
Amount(in Rs)	1741486/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words:Seventeen Lakh Forty-One Thousand Four Hundred and Eighty-Six Rupees Only

Depositor Signature (Signature) Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Union Bank Of India 560162 Almora Branch

CAMPA-MOEF Copy

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 28-12-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6110101901
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/72/2015-FC
Address.	Construction Division PWD AlmoraAlmora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eecdalmorapwd@rediffmail.com 9759892120 5962-230091
Amount(In Rs)	1741486/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words :Seventeen Lakh Forty-One Thousand Four Hundred and Eighty-Six Rupees Only

Depositor Signature (Signature) Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdes

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbanko

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाष: 0135–2750809,
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 72 / 2015 / एफ0सी0 / 80

दिनांक: 15 / 04 / 2016

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद–अल्मोड़ा में तलेट से विरकोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.00125 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/10101/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 556/X-4-15/1(321)/2015 दिनांक 22.07.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10101/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 30.11.2015 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा वांछित आवश्यक सूचनाओं / दस्तावेजो के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–अल्मोड़ा में तलेट से विरकोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.00125 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 10.00 है0 बिल्लेख सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई

दिल्ली–110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। धनराशि का हस्तान्तरण Online portal के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।

5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय का वचन पत्र प्रेषित करना होगा।

6. राज्य सरकार द्वारा Working Plan prescription से सम्बन्धित detail की entry online part-II में भी करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। अन्यथा अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:–

1. वन भूमि की वैधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 10.00 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एव Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
8. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 356 से अधिक न हो।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

सरिता

O/C

(सरिता कुमारी)
उप वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
आदेश पत्रावली।

सरिता

O/C

(सरिता कुमारी)
उप वन संरक्षक